कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश, इन्दौर

महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर -452 007 फोन नं. आ. 2537140, 2437315 फैक्स: 0731-253622
https://www.mptax.mp.gov.in, E-mail : commissioner.ho@mptax.mp.gov.in

क्रमांक: 45/2022/24(बी)/एक/190 इन्दौर, दिनांक 26/07/2022

प्रति,

संयुक्त आयुक्त (समस्त),
उपायुक्त (समस्त),
सहायक आयुक्त (समस्त),
राज्य कर अधिकारी (समस्त),
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश.

Standard Operating Procedure - 01

REGISTRATION

विषयः– मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत पंजीयन जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने बाबत्।

रजिस्ट्रेशन हेतु मानक अनुपालन प्रक्रिया

अवगत होंगे कि जीएसटी पंजीयन, राजस्व प्राप्ति की प्रथम कड़ी है। अतः पंजीयन में अनावश्यक विलंब या गलत पंजीयन से प्रदेश का राजस्व प्रभावित होता है। रजिस्ट्रेशन जारी करने की प्रक्रिया के अवलोकन एवं विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी से यह तथ्य प्रगट हुआ है कि समुचित अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन जारी करने की प्रक्रिया के दौरान व्यवसायी से अपेक्षित दस्तावेजों एवं REG 01 में प्रविष्ट जानकारी का परीक्षण करने में एकरूपता नहीं है। मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 25 सहपठित नियम 8, 9 एवं 10 मे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अतः Ease of Doing Business के सिद्धांत को सुनिश्चित करने एवं पंजीयन की प्रक्रिया को सुदृढ बनाने हेतु निम्नानुसार मानक प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

Part-A-पंजीयन आवेदन का प्रारूप REG- 01 में Part-A टैब में प्रविष्ट जानकारी के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जा सकती है:–

क्र.	आवेदक द्वारा प्रविष्टि जानकारी	समुचित अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	पश्चावर्ती कार्यवाही
1.	PAN Number	उक्त पेन पर Multiple GSTIN की जानकारी प्राप्त करना	E-Way Bill Portal (NIC)/ Boweb Portal पर
		एक ही पेन पर एक से अधिक GSTIN पाए जाने पर	Multiple GSTIN (विशेष कर अन्य राज्यों में GSTIN) पाए जाने पर अन्य दस्तावेज एवं प्लेस ऑफ बिजनेस संबंधी दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा सकता है
		उक्त पेन पर Suspended/ Cancelled GSTIN पाए जाने पर	सूक्ष्म परीक्षण किए जाने के साथ Query raise की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है
		पेन होल्डर की उम्र 18 वर्ष से कम होने की स्थिति में	**Query raise** की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है
2.	Mobile Number/E-mail ID	Mobile Number/E-mail ID पर Multiple GSTIN की जानकारी प्राप्त करना	एनआईसी पोर्टल पर
		एक ही Mobile Number/E-mail ID पर एक से अधिक GSTIN पाए जाने पर	Multiple GSTIN (विशेष कर अन्य राज्यों में GSTIN) पाए जाने पर अन्य दस्तावेज एवं प्लेस ऑफ बिजनेस संबंधी दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा सकता है
		उक्त Mobile Number/E-mail ID पर Suspended/ Cancelled GSTIN पाए जाने पर	सूक्ष्म परीक्षण किए जाने के साथ Query raise की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है

Part-B–**पंजीयन आवेदन का प्रारूप REG-01 में Part-B** टैब में प्रविष्ट जानकारी के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जा सकती है:–

(1) Details of your Business-

(1.1) इस शीर्षक के अंतर्गत आवेदन कर्ता द्वारा ट्रेड नाम, व्यवसाय का गठन, कम्पोजिशन संबंधी घोषणा, कम्पोजिशन हेतु पंजीयत व्यक्ति का प्रकार अर्थात् निर्माता, सप्लायर या रेस्टोरेन्ट, व्यवसाय प्रारंभ करने का दिनांक, पंजीयत होने के दायित्व का दिनांक, कैज़ुअल टैक्सेबल पर्सन होने पर पंजीयन प्राप्त करने की अवधि तथा अनुमानित कर दायित्व एवं कर भुगतान की विगत, सेज यूनिट/सेज डेवलपर के रूप में पंजीयन प्राप्त करने हेतु सेज/ सेज डेवलपर का नाम, स्वीकृति आदेश नम्बर एवं दिनांक, वैधता अवधि तथा स्वीकृत कर्ता अधिकारी का पदनाम, पंजीयन प्राप्त करने का कारण तथा किसी अन्य विधान के अंतर्गत प्राप्त पंजीयन कमांक की जानकारी प्रदान की जाती है।

(1.2) **जीएसटी नियमों के फॉर्म REG-01 में** Details of your Business **के संबंध में निर्धारित आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है**–

1. फोटो

(ए) मालिकाना सहमती – मालिक

(बी) भागीदारी फर्म/लिमिटेड लायबिलिटि पार्टनरशीप – प्रबंधक / अधिकृत / नामित भागीदार (सभी भागीदारों के व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत किए जाने हैं, लेकिन प्रबंध भागीदार सहित केवल दस भागीदारों की फोटो प्रस्तुत की जानी हैं)

(सी) हिंदू अविभाजित परिवार – कर्ता

(डी) कंपनी – प्रबंध निदेशक या अधिकृत व्यक्ति

(ई) ट्रस्ट – प्रबंध ट्रस्टी

(च) व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत किए जाने हैं, लेकिन अध्यक्ष सहित केवल दस सदस्यों की फोटो प्रस्तुत की जानी हैं)

(छ) स्थानीय प्राधिकरण –मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उनके समकक्ष

(ज) सांविधिक निकाय –मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उनके समकक्ष

(ज) अन्य – प्रभारी व्यक्ति

2. व्यवसाय का गठन मे पार्टनरशीप फर्म के मामले में पार्टनरशीप डीड; सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय, स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक निकाय और अन्य आदि के मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र/संविधान का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है।

उक्त टैब में प्रविष्ट जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जा सकती है:–

क्र.	आवेदक द्वारा प्रविष्टि जानकारी	समुचित अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	पश्चावर्ती कार्यवाही
1.	(1) पार्टनरशीप डीड; (2) अन्य प्रकरणों में पंजीकरण प्रमाण पत्र/संविधान का प्रमाण।	दस्तावेजों का परीक्षण किया जाना।	दस्तावेज संलग्न नहीं पाए जाने पर Query raise की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है
2.	कम्पनी निगमन प्रमाण पत्र।	https://mca.gov.in/mcafoportal/viewCompanyMasterData.do से ऑनलाईन सत्यापन किया जाना।	कम्पनी की दशा मे दस्तावेज संलग्न नहीं पाए जाने पर या सत्यापित न पाए जाने पर Query raise की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है

2. Details of Proprietor/ Partners/ Promoters/Directors –

इस शीर्षक के अंतर्गत आवेदन कर्ता द्वारा प्रोप्रायटर, सभी भागीदारों, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर तथा पूर्णकालिक डायरेक्टर, एसोसिएशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों तथा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से संबंधित जानकारिया जैसे नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नम्बर, ई–मेल एड्रेस, डायरेक्टर आइडेन्टीफिकेशन नम्बर, पेन, आधार नम्बर तथा इडियन नहीं होने पर पासपोर्ट नम्बर एवं निवास का पता आदि की जानकारी प्रदान की जाती है। उक्त जानकारी में डायरेक्टर आइडेन्टीफिकेशन नम्बर, का सत्यापन स्वतः हो जाता है।

उक्त टैब में प्रविष्ट जानकारी के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जा सकती है:–

क्र.	आवेदक द्वारा प्रविष्टि जानकारी	समुचित अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	पश्चावर्ती कार्यवाही
1.	Proprietor/ Partner's Residential Address	निवास के पते का परीक्षण किया जाना	संदिग्ध होने या निवास का पता अन्य राज्य का होने पर **Query raise** की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है
2.	PAN/Mobile/E-mail ID	कंडिका–1 के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित	

3. Details of Authorized Signatory and Authorized representative- (3.1) इस शीर्षक के अंतर्गत आवेदन कर्ता द्वारा Authorized Signatory के संबंध में नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नम्बर, ई–मेल एड्रेस, पेन, आधार नम्बर एवं निवास का पता आदि की जानकारी प्रदान की जाती है।

Authorized representative के संबंध में नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर, ई–मेल एड्रेस, नामांकन आईडी तथा नामांकन आईडी उपलब्ध नही होने पर पेन तथा पेन उपलब्ध नही होने पर आधार नम्बर आदि की जानकारी प्रदान की जाती है। यह जानकारी वैकल्पिक होती है। उक्त जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।

(3.2)जीएसटी नियमों के फॉर्म REG-01 में Authorized Signatory के संबंध में निर्धारित आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है–

Authorized Signatory नियुक्त किये जाने की स्थिति में मालिक, भागीदार, कर्ता, प्रबंध निदेशक, प्रबंध ट्रस्टी या प्रबंध समिति के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र (निर्धारित प्रारूप मे)

उक्त टैब में प्रविष्ट जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जा सकती है:–

क्र.	आवेदक द्वारा प्रविष्टि जानकारी	समुचित अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	पश्चावर्ती कार्यवाही
1.	Authorisation Form	उक्त दस्तावेजों का परीक्षण किया जाना– मेनेजिंग कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा पारित Resolution या Authorisation के दस्तावेज। मालिक/ भागीदार/ कर्ता/ प्रबंध निदेशक /प्रबंध ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र	प्रत्येक Authorized Signatory के लिए पृथक Authorisation Form संलग्न या निर्धारित प्रारूप मे नहीं पाए जाने पर **Query raise** की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

4. Principal Place of Business and additional Principal Place of Business-

(4.1) इस शीर्षक के अंतर्गत आवेदन कर्ता द्वारा मुख्य व्यवसाय स्थल तथा अतिरिक्त व्यवसाय स्थल का पूर्ण पता तथा ऑफिस के ई–मेल, व्यवसाय स्थल की प्रकृति यथा स्वयं का या किराये का है या सहमति पत्र पर प्राप्त किया गया है, व्यवसाय की प्रकृति जैसे निर्माण, रिटेल, वर्क्स कॉक्ट्रेक्टर, ईओयू, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट तथा सर्विस सप्लायर आदि की जानकारी प्रदान की जाती है।

(4.2) जीएसटी नियमों के फॉर्म **REG-01** में **Principal Place of Business and additional Principal Place of Business** के संबंध में निर्धारित आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है–

व्यवसाय के प्रमुख स्थान का प्रमाण,
(ए) स्वयं के परिसर के लिए –
परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्तिकर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली बिल की प्रति।
(बी) किराए या पट्टे के परिसर के लिए –
नवीनतम संपत्तिकर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली बिल की प्रति जैसे पट्टेदार के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी भी दस्तावेज के साथ वैध किराया / पट्टा समझौते की एक प्रति।
(सी) उपरोक्त (ए) और (बी) में शामिल नहीं किए गए परिसर के लिए –

सहमति पत्र की एक प्रति जिसमें किसी भी दस्तावेज के साथ सहमति पत्र के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में नगरपालिका खाता प्रति या बिजली बिल प्रति। साझा संपत्तियों के लिए भी, वही दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

(डी) किराए/पट्टे के परिसर के लिए जहां किराया/पट्टा समझौता उपलब्ध नहीं है, बिजली बिल की प्रति जैसे परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी भी दस्तावेज के साथ इस आशय का एक हलफनामा।

(ई) यदि व्यवसाय का प्रमुख स्थान एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है या आवेदक एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता है।

उक्त टैब में प्रविष्ट जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जा सकती है:–

क्र.	आवेदक द्वारा प्रविष्टि जानकारी	समुचित अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	पश्चावर्ती कार्यवाही
1.	किरायानामा	वैध किराया/पट्टा समझौते का परीक्षण करना तथा के साथ किरायानामा संलग्न मालिकाना प्रमाण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करना।	दस्तावेज संलग्न नहीं पाए जाने अथवा संदिग्ध प्रतीत होने पर Query raise की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। *समस्त किरायानामा की जानकारी मय प्रति पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग को मासिक रूप से भेजी जानी है।*

2.	बिजली बिल में दिए गए **IVRS No.**	निम्न क्षेत्रों के वेब साईट से ऑनलाईन सत्यापन किया जाना– • पश्चिम क्षेत्र की वेब साईट–https://mpwzservices.mpwin.co.in/ westdiscom/home • मध्य क्षेत्र की वेब साईट– https://services.mpcz.in/Consumer/#/ ViewPayBillApp/bill-download-Payment • पूर्व क्षेत्र की वेब साईट– http://www.mpez.co.in/ShowProperty/ UCMRepository/Contribution%20Folders/Jabalpur/home/pay bills_lt_ht.html	**IVRS** अनुसार विवरण जैसे कि बिजली कनेक्शन के धारक/ पता सत्यापित नहीं पाए जाने अथवा संदिग्ध प्रतीत होने पर Query raise की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।
3.	ग्रामीण क्षेत्र हेतु दिए गए खसरा/ खाता	वेब साईट से ऑनलाईन सत्यापन किया जाना– https://webgisqc.co.in/mpbhulekh.do	सत्यापित नहीं पाए जाने अथवा संदिग्ध प्रतीत होने पर Query raise की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है
4.	शहरी क्षेत्र हेतु दिए गए सम्पत्ति विवरण	वेब साईट से ऑनलाईन सत्यापन किया जाना– https://mpenagarpalika.gov.in:8005/sap/bc/webdynpro/sap/zpt_existing_down#	
5.	ई–रजिस्ट्री (सम्पत्ति से संबंधित)	वेब साईट से ऑनलाईन सत्यापन किया जाना– https://www.mpigr.gov.in:8080/IGRS/docsearchtypeanu.do?lang=en	

6.	Consent letter	सहमति पत्र के साथ संलग्न मालिकाना प्रमाण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करना।	दस्तावेज संलग्न नहीं पाए जाने अथवा संदिग्ध प्रतीत होने पर Query raise की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है
	SEZ or SEZ Developer से संबधित दस्तावेज	यदि व्यवसाय स्थल SEZ के अंतर्गत है अथवा SEZ Developer है तो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेजों का परीक्षण किया जाना।	दस्तावेज संलग्न नहीं पाए जाने अथवा संदिग्ध प्रतीत होने पर Query raise की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है

5. **Details of Goods / Commodities –**

इस शीर्षक के अंतर्गत आवेदन कर्ता द्वारा जिन मालों एवं सेवाओं के अंतर्गत व्यवसाय किया जाना है उनमें से 5 प्रमुख माल एवं सेवाओं की एचएसएन सहित जानकारी प्रदान की जाती है। यदि आवेदनकर्ता द्वारा 5 से कम माल एवं सेवाओं का व्यवसाय किया जाता है तो केवल उतने ही मालों एवं सेवाओं के एचएसएन की जानकारी देनी है।

6 Bank Details-

(6.1) इस शीर्षक के अंतर्गत आवेदन कर्ता द्वारा व्यवसाय करने के लिए प्रायोजित बैंक खाता की जानकारी प्रदान की जाती है। अधिकतम 10 बैंक खातों की जानकारी प्रदान की जा सकती है।

(6.2) जीएसटी नियमों के फॉर्म **REG-01** में **Bank Details** के संबंध में निर्धारित आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है–

बैंक खाते से संबंधित प्रमाण, जहां ऐसे खाते का विवरण दिया गया है–

बैंक पासबुक के पहले पेज की स्कैन्ड कॉपी या बैंक स्टेटमेंट का संबंधित पेज या कैंसल चेक की स्कैन्ड कॉपी जिसमें मालिक या बिजनेस एंटिटी का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, एमआईसीआर, आईएफएससी और कोड सहित ब्रांच का विवरण हो।

उक्त टैब में प्रविष्ट जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जा सकती हैः–

क्र.	आवेदक द्वारा प्रविष्टि जानकारी	समुचित अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	पश्चावर्ती कार्यवाही
1	बैंक खाता की जानकारी	आवेदन के साथ बैंक खाता की जानकारी प्रदाय नही किये जाने पर नियम 10ए के अनुसार पंजीयन जारी होने की दिनांक से 45 दिवस में या प्रथम जीएसटीआर 3बी प्रस्तुत करने की देय तिथि तक, जो भी पूर्व मे हो, बैंक खाता की जानकारी तथा बैंक पासबुक के पहले पेज की स्कैन्ड कॉपी या बैंक स्टेटमेंट का संबंधित पेज या कैंसल चेक की स्कैन्ड कॉपी प्रदान किया जाना है उक्त जानकारी तथा दस्तावेजों का परीक्षण करना।	बैंक खाता की जानकारी तथा संबधित दस्तावेज समयसीमा मे प्रस्तुत नही होने पर धारा 29 के सहपठित नियम 10ए, 21 एवं 22 के अंतर्गत पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

7. **Aadhaar Authentication Status-**
   इस शीर्षक के अंतर्गत आवेदन कर्ता द्वारा Name, Father's name, Residential Address, Mobile Number, Email ID तथा Date of Birth की जानकारी प्रदान की जाती है।

उक्त टैब में प्रविष्ट जानकारी के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जा सकती हैः–

क्र.	आवेदक द्वारा प्रविष्टि जानकारी	समुचित अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	पश्चावर्ती कार्यवाही
1	Name, Father's name, Residential Address, Date of Birth, Photograph	कॉलम 2 मे दर्ज जानकारियों तथा फोटोग्रफ का मिलान पंजीयन आवेदन में दर्ज जानकारियों तथा फोटोग्रफ से किया जाना है।	आधार कार्ड तथा आवेदन पर दर्ज जानकारी तथा फोटोग्रफ मे भिन्नता होने पर **Query raise** की जाकर प्राप्त जवाब के अवलोकन पश्चात् आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है
2	आधार नंबर	आधार नंबर का प्रमाणीकरण नही होता है या आवेदन मे आधार नंबर का प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुना गया है।	धारा **25** की उप–धारा (**6**डी) के तहत अधिसूचित व्यक्ति के अलावा समस्त दशाओं में व्यवसाय स्थल का भौतिक सत्यापन अनिवार्यतः किया जाकर सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है

8. अन्य दस्तावेज / प्रमाण पत्र / लाईसेंस आदि के संबंध में :–

उल्लेखनीय है कि पंजीयन आवेदन प्रारूप के खण्ड 15 Indicate existing registrations wherever applicable के संबंध में दस्तावेजों जैसे– लोकल बॉडी लाईसेंस, गुमाश्ता लाईसेंस आदि की मांग नहीं की जाएगी। यथा इस संबंध में कोई **Query** नहीं की जाए।

9. मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 25 सहपठित नियम 9 के तहत व्यवसाय स्थल के भौतिक सत्यापन हेतु निम्नानुसार प्रावधान दिए गए है–

Rule 9 of GST rules prescribes the process of verification of registration application

"9. Verification of the application and approval.-(1)The application shall be forwarded to the proper officer who shall examine the application and the accompanying documents and if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within a period of seven working days from the date of submission of the application.

Provided that where -

(a) a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number; or

(b) the proper officer, with the approval of an officer authorised by the Commissioner not below the rank of Assistant Commissioner, deems it fit to carry out physical verification of places of business,

the registration shall be granted within thirty days of submission of application, after physical verification of the place of business in the presence of the said person, in the manner provided under rule 25 and verification of such documents as the proper officer may deem fit."

मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 9 बी के तहत, पंजीयन आवेदन का प्रारूप REG- 01 में Part-A टैब में प्रविष्ट जानकारियों, Principal Place of Business and additional Principal Place of Business टैब में प्रविष्ट जानकारियों एवं **दस्तावेजों के संबंध मे Query raise किये जाने के पश्चात प्राप्त जवाब** संतोषजनक नही पाये जाने आवश्यक प्रतीत होने पर **व्यवसाय स्थल के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही** किये जाने के पश्चात आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

अतः समस्त समुचित अधिकारी पंजीयन आवेदनों की स्वीकृति या निरस्तीकरण के मामलों में मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 25 सहपठित नियम 8, 9 एवं 10 तथा पंजीयन फार्म मे अकिंत प्रविष्टियों तथा दस्तावेजों को ध्यान मे रखते हुए तथा SOP में उल्लेखित कमियों के आधार पर ही पंजीयन आवेदनों में Query raise करने, व्यवसाय स्थल के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही करने तथा तदनुसार आवेदनों की स्वीकृति या निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाना है।

यदि उपरोक्त निर्देश के पालन में कोई कठिनाई आ रही हो तो इस कार्यालय को सूचित करें।

26/7/22

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि–

पृ.क. 45/2022/24(बी)/एक/190 इंदौर, दिनांक 26.07.2022

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद, भोपाल, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश